न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 74 / 2022

श्री चन्द्रपाल पुत्र दीपचन्द कुम्हार मौहल्ला वार्ड–19 कस्बा नगर जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नगर जिला भरतपुर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

———

आदेश **दिनांक 27.09.2022**

अपीलार्थी श्री चन्द्रपाल पुत्र दीपचन्द कुम्हार मौहल्ला वार्ड–19 कस्बा नगर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नगर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.7.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नगर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नगर द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 668 दिनांक 2.9.2022 के द्वारा तहसीलदार नगर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नगर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / आरटीआई / 2022 / 102 दिनांक 14.9.2022 शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई है, चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नगर से प्राप्त जबाब पत्र जबाब पत्र क्रमांक / आरटीआई / 2022 / 102 दिनांक 14.9.2022 का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में जरिये पत्र क्रमांक

............2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील / आरटीआई / 74 / 2022
चन्द्रपाल बनाम तहसीलदार नगर

विविध / 2022 / 94 / 94 दिनांक 17.8.2022 से उनके पते पर सूचित कर दिया गया है। इसे अपीलार्थी भी स्वीकार करता है परन्तु अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना को अपूर्ण बताया है। तहसीलदार नगर द्वारा अपीलार्थी को भेजी गई सूचना से सम्बन्धित पत्र दिनांक 17.8.2022 को अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से समबन्धित कोई रिकार्ड संधारित ही नहीं है, इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया है। अस्तु अपील खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नगर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर